(86)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 902/1995 विरूद्ध आदेश दिनांक 7–7–1995 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर, प्रकरण कमांक 4/1994–95/निगरानी

.....

1–महेन्द्रसिंह पुत्र भवानी सिंह

2–जयन्द्रसिंह पुत्र भवानी सिंह

निवासीगण ग्राम मोड़का तहसील व जिला गुना म0प्र0

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1–नाथीबाई पत्नी देवीसिंह नट

निवासी ग्राम खेजरा बाबा,

तहसील व जिला गुना म0प्र0

2–मध्यप्रदेश शासन

..... अनावेदकगण

.....

श्री एस0के0अवस्थी, अभिभाषक–आवेदकगण

श्री डी0के0शुक्ला, पेनल अभिभाषक–अनावेदक कमांक 2

.....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 15/2/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 7–7–1995 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदकगण द्वारा अनावेदिका कमांक 1 के पति देवीसिंह से भूमि कय की जाकर नामान्तरण पंजी प्रविष्टि कमांक 19 पर दिनांक 25–8–1970 को अपना नामान्तरण स्वीकृत कराया गया । देवीसिंह की मृत्यु उपरांत अनावेदिका कमांक 1 द्वारा कलेक्टर को इस आशय की शिकायत की गई कि वह अनुसूचित जनजाति की सदस्य है और आवेदकगण द्वारा फर्जी तरीके से प्रश्नाधीन भूमि का विकय अपने पक्ष में निष्पादित करा लिया गया है । कलेक्टर द्वारा स्वप्रेरणा से निगरानी का प्रकरण दर्ज कर दिनांक 31–8–1982 को आदेश पारित करते हुये निष्कर्ष निकाला जाकर कि अनावेदिका कमांक 1 अनुसूचित जनजाति की सदस्य है और आवेदकगण द्वारा भूमि कय करने में संहिता की धारा 165(6) का उल्लघंन किया गया है और बिना सक्षम अधिकारी के अनुमति के प्रश्नाधीन भूमि का विकय नहीं किया जा सकता है । तत्पश्चात् दो बार प्रकरण अपर आयुक्त से प्रत्यावर्तित होकर अपर कलेक्टर को प्राप्त हुआ और अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 31–10–94 को अंतिम आदेश पारित कर उपरोक्त आशय का निष्कर्ष निकालते हुये आवेदकगण का नामान्तरण निरस्त किया गया है । उक्त आदेश के विरूद्ध निगरानी अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 7–7–1995 को आदेश पारित कर कलेक्टर न्यायालय का आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि आवेदकगण द्वारा पंजीकृत विकय पत्र के माध्यम से कय की गई हैं जिसे शून्य करने का अधिकार राजस्व न्यायालयों को नहीं है । यह भी कहा गया कि अनावेदिका कमांक 1 नट जाति की महिला है और नट जाति अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में नहीं आता है, इसलिये संहिता की धारा 165 इस प्रकरण में लागू नहीं होती है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदिका कमांक 1 अनुसूचित जनजाति की सदस्य है, यह प्रमाणित करने का भार उस पर था, परन्तु उसके द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है ।

4/ अनावेदक कमांक 2 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित आदेश होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा समवर्ती निष्कर्ष निकाले गये हैं जो विधिसंगत हैं ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदिका कमांक 1 अनुसूचित जनजाति की सदस्य है, के द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का विकय आवेदकगण जो कि अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमति के भूमि का विकय किया गया है । अतः ऐसा प्रारंभ से ही शून्यवत् विकय पत्र के आधार पर नामान्तरण आदेश पारित करने में विचारण न्यायालय द्वारा विधि की गंभीर भूल की गई है । अतः कलेक्टर द्वारा प्रकरण स्वप्रेरणा में लेकर संहिता की धारा 165(6) के उल्लघंन में किये गये अन्तरण को शून्यवत् घोषित करते हुये नामान्तरण आदेश निरस्त करने में वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है और कलेक्टर के विधिसंगत आदेश की पुष्टि करने में अपर आयुक्त द्वारा किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है । इस प्रकार दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष हस्तक्षेप योग्य नहीं होने से अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 7–7–1995 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर